

पुष्क

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अपील कमी पूर्ति खर्च
नहीं किये जाने से
खारिज 30/8/19

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विष्णु प्रसाद पुन स्वामी ~~राज. मर 312 चरिषे ललीलकर~~
शंभू लालि गोस्वामी (हमेकर) पुष्कर व डाय

किस्म मुकदमा नम्बर सन् 20 19 (पुष्कर)
75एल. मर. एमर 30/2019

2019/00301 (पुष्क)

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुकम की तामील जारी हुए
पेशी	श्री <u>मदनपुरी गोस्वामी</u> श्री	
5.8.19	यह अपील श्री मदनपुरी गोस्वामी एडवोकेट ने विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 02.11.1991, प्रकरण संख्या 167/2016 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश की हैं। अपील बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील में कोर्ट फीस, नोटिस पूर्ण नहीं हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। आगामी पेशी पर अभिभाषक अपीलांत आवश्यक रूप से उपरोक्त कमीपूर्ति पूर्ण करें। पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति दिनांक 14.08.2019 को पेश हो।	
14.8.19	पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति पेश। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत कमीपूर्ति हेतु अवसर चाहते हैं, जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति दिनांक 19.08.2019 का पेश हो।	
19.8.19	पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति पेश। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत कमीपूर्ति हेतु अवसर चाहते हैं, जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति दिनांक 26.08.2019 का पेश हो।	
26.8.19	पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति पेश। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत कमीपूर्ति हेतु अवसर चाहते हैं, जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति दिनांक 30.08.2019 का पेश हो।	
30.8.19	पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति पेश। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत कमीपूर्ति पूर्ण करने हेतु कई अवसर लिये हैं किन्तु उनके द्वारा पूर्ति नहीं की गई। अभिभाषक अपीलांत द्वारा कमीपूर्ति पूर्ण नहीं किये जाने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।	